

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचौर  
(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

मुकदमानंम्बर:- 06/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. पांचु देवी पत्नी सोहनलाल कौम विश्नोई निवासी पुर तहसील सांचौर जिला सांचौर		सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना जिला सांचौर
2. ब्रह्मदेव विश्नोई पुत्र इन्द्रजीत निवासी 16जीबी, तहसील विजयनगर जिला गंगानगर		

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, आर.टी. आर. एक्ट 1955

उपस्थित:-

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री प्रकाश विश्नोई।
2. अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय

दिनांक 20/09/2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी खेत मौजा होतीगांव पटवार हल्का होतीगांव के खसरा संख्या 3145/1314 रकबा 1.39 हैक्टर खातेदारी व कब्जे काशत का आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण रहवासी घर बनाकर निवास कर है तथा खेती बाड़ी करते है। जिसमें आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं होने से रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' के प्रावधानों के मौजा होतीगांव के खसरा संख्या 1321 रकबा 1.64 हैक्टर तथा खसरा संख्या 1320 रका 0.40 हैक्टर में से होकर आवागमन का रास्ता वर्तमान में भी चल रहा है तथा यह रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 3145/1314 रकबा 1.39 हैक्टर में आने के लिए खसरा संख्या 1321 रकबा 1.64 हैक्टर तथा खसरा संख्या 1320 रका 0.40 हैक्टर में से 10 मीटर चौड़ा व 45 मीटर लम्बा रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में अभिलिखित की जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम होतीगांव पटवार हल्का होतीगांव तहसील चितलवाना के खसरा संख्या 3145/1314 रकबा 1.39 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसमें आवागमन हेतु खसरा संख्या 1320 एवं खसरा संख्या 1321 में से वर्तमान रास्ता चल रहा है जो कि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 3145/1314 के निकटतम रास्ता है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा संख्या 1320 रकबा 0.40 हैक्टर तथा खसरा संख्या 1321 रकबा 1.64 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम सिवायचक भूमि स्थित है खसरा संख्या 1320 में से 0.002 हैक्टर तथा खसरा संख्या 1321 में से 0.054 हैक्टर कुल रकबा 0.056 हैक्टर भूमि रास्ते के उपयोग में



उपखण्ड अधिकारी  
चितलवाना

आ रही है। इस प्रकार मौजा होतीगांव की वर्तमान सिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर 251431 रु (वर्तमान भूमि दर के अनुसार मालियत  $0.056 \times 251437 = 14080$  रुपये) है। उक्त भूमि की नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करवाने पर प्रार्थीगण के हक में रास्ता दिया जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।

मैंने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खेत खसरा संख्या 3145/1314 रकबा 1.39 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खेत खसरा संख्या 1320 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा संख्या 1321 रकबा 1.64 हैक्टर भूमि किस्म बारानी प्रथम राज्य सरकार के खाते में दर्ज है जिसमें में प्रार्थीगण को आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है जो मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम होतीगांव पटवार हल्का होतीगांव के खसरा संख्या 1320 रकबा 0.40 हैक्टर में से 0.002 हैक्टर तथा खसरा संख्या 1321 रकबा 1.64 हैक्टर में से 0.054 हैक्टर भूमि का रास्ता प्रार्थीगण के प्रस्ताव अनुसार व संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये बिन्दु संख्या 'ए' से 'बी' अनुसार उक्त रास्ता भूमि को समाविष्ट करने वाली भूमि के संबंध में अभिघृति निर्वापित मानते हुए राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस रास्ता भूमि के प्रार्थीगण को रास्ते की सुविधा के अलावा अन्य अधिकार अर्जित नहीं रहेंगे। तथा अप्रार्थी उक्त रास्ता स्थान की भूमि पर किसी प्रकार का आवागमन में बाधा कारित न करे व न करावें। उक्त भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि जरिये डी.डी. के नियमानुसार भुगतान करे। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी हो, पक्षकार अपना-अपना खर्चा वहन करें।



( हनुमान राम आर ए एस )  
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना  
चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 20/09/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी चितलवाना  
उपखण्ड अधिकारी  
चितलवाना

